उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–4
संख्या–1099/77–4–2023/16 एन/21
लखनऊः दिनांकः 16 फरवरी, 2024

मैसर्स एम.एम.आर. साहा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0, पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण विपक्षीगण

प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका मैसर्स एम.एम.आर. साहा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 द्वारा नौएडा में आवंटित वाणिज्यिक भूखण्ड संख्या–ई–1, सेक्टर–52 के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा पारित प्रत्यावेदन निरस्तीकरण आदेश दिनांक 10.12.2020 के विरूद्ध उ0प्र0 अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट एक्ट, 1973 की धारा 41(3) सपठित औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा–12 के अन्तर्गत दाखिल की गयी है।

2– पुनरीक्षण याचिका में महत्वपूर्ण तथ्य निम्नवत् हैं :–

(i) यह प्रकरण वर्ष–2021 से शासन में विचाराधीन है। आवंटी को भूखण्ड संख्या–ई–1, सेक्टर–52, नौएडा का आवंटन दिनांक 28.03.2011 को किया गया है, इसका कुल क्षेत्रफल 3.53 हैक्टेयर है तथा यह एक कॉमर्शियल बिल्डर प्लाट है। उक्त भूखण्ड का कुल प्रीमियम रू. 266.86 करोड़ था, जिसके सापेक्ष 10 प्रतिशत की धनराशि जमा कराने के उपरान्त शेष 90 प्रतिशत धनराशि 16 अर्द्धवार्षिक किस्तों में 11 प्रतिशत ब्याज के साथ जमा करने का प्राविधान है। आवंटी को 2 वर्ष का मोरेटोरियम दिया गया था। मोरेटोरियम की अवधि में 4 अर्द्धवार्षिक किस्तों में 11 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान किया जाना था। आवंटी का भवन मानचित्र दिनांक 15.05.2013 को स्वीकृत किया गया। आवंटी द्वारा देयताओं का भुगतान न करने की वजह से दिनांक 22.07.2015 को भूखण्ड का आवंटन निरस्त किया गया। भूखण्ड का सशर्त एवं सशुल्क पुनर्स्थापन आदेश दिनांक 24.02.2016 के द्वारा किया गया।

(ii) याची द्वारा विभिन्न कारणों से जीरो पीरियड के लाभ की मांग की गयी है। प्राधिकरण की आख्या के अनुसार इस आवंटन के सापेक्ष अद्यतन कुल रू. 1306.56 करोड़ की धनराशि बकाए के रूप में आउट स्टैण्डिंग है। आवंटी के अनुसार निर्माण कार्य मौके पर लगभग 70 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रोजेक्ट को पूर्ण करने के लिए यह आवश्यक है कि प्राधिकरण के देयों के भुगतान की व्यवस्था बनायी जाए, साथ ही यह भी आवश्यक है कि परियोजना को पूर्ण कर उससे आवश्यक रिसोर्सेज

मोबलाईज किया जा सके। चूँकि बकाए की धनराशि बहुत अधिक है और प्रोजेक्ट भी अत्यन्त विलम्बित है, ऐसे में यह उचित होगा कि इस पर सम्यक् विचार एक बार प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा किया जाए। प्राधिकरण के समक्ष याची अपने बैंकर/फाईनेन्शर के साथ प्राधिकरण के देयों के भुगतान के सम्बन्ध में एक सुविचारित प्रस्ताव बैंकर/फाईनेन्शर की सहमति के साथ प्रस्तुत करें और प्राधिकरण इसे बोर्ड के समक्ष विचार हेतु रखे।

3— अतः उपरोक्त रिवीजन उ0प्र0 अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट एक्ट, 1973 की धारा 41(3) सपठित औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा—12 के अन्तर्गत उपरोक्त निर्देशों के साथ यह याचिका निस्तारित की जाती है।

**मनोज कुमार सिंह**
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त।

संख्याः—1099 (1)/77—4—2023/16 एन/21, तद्दिनांक

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—**

1— मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नौएडा विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
2— अधिकृत हस्ताक्षरी, मैसर्स एम.एम.आर. साहा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0, ए—10,बी—1, तृतीय तल, मोहन को—आपरेटिव, इण्डस्ट्रियल इस्टेट लि0, बदरपुर, नई दिल्ली—110044
3— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव।